जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
32/2016

A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 32/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

19–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल आज उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस पूर्व में दिनांक 06.12.2016 को सुनी जा चुकी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक 26167 दिनांक 18.11.2015 आपके कार्यालय में पहुंचने की तिथि व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

3. पत्र प्राप्ति से सूचना के प्रार्थना पत्र का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही आप द्वारा की गई उसकी सूचना व नियम की प्रमाणि प्रतिलिपि।

4. उपरोक्त पत्र के साथ सलंग्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर का पत्रांक 4234 दिनांक 06.11.2015 में वर्णित तथ्यों पर की गयी कार्यवाही की सूचना व पत्रांक 4234 व 06.11.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

5. उपरोक्त पत्रांक 4234 दिनांक 06.11.2015 में वर्णित तथ्यो की सूचना व उस पर कार्यवाही न करने के नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 236 दि0 15.03.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1990 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1990 दि0 21.12..2015 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
32/2016

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:–
1. बिन्दू सं0 1 में वर्णित पत्र के इस कार्यालय में पहुंचने की तिथि व आर/आर नम्बर की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि (एक पृष्ठ) प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से इस कार्यालय में जमा करावें ताकि सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करवाई जा सके।
2. बिन्दू सं0 4 में वर्णित पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (एक पृष्ठ) प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से इस कार्यालय में जमा करावें ताकि सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करवाई जा सके।
3. शेष बिन्दु सं0 2, 3 व 5 के तहत चाही सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 व 4 की एक एक पृष्ट की सूचना के लिए दो–दो रूपये राशि जमा करवाकर प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह उक्तानुसार राशि जमा करवा कर बिन्दु सं0 1 व 4 की सूचना प्राप्त करे। अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष बिन्दु सं0 2 , 3 व 5 की सूचनांए कोई निश्चित सूचना व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 21.12.2015 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर